महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./2016/142 भोपाल, दिनांक 30/01/2016

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
3.समस्त अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर, सिविल अस्पताल इटारसी, सिविल अस्पताल संत हिरदाराम नगर, के.एन.के अस्पताल भोपाल
4.अधीक्षक टी.बी सेनेटोरियम/अस्पताल, छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम एवं चेस्ट सेन्टर, इंदौर
मध्य प्रदेश।

विषयः– प्रदेश के चिकित्सालयों में साफ–सफाई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु संशोधित दिशानिर्देश।

संदर्भः– 1. क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/434 दिनांक 17 /04 /2013
2. क्रमांक/अस्प.प्रशा./2014/2172 दिनांक 18 /12 /2014

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ–सफाई की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना एक प्रमुख लक्ष्य है। इस पृष्ठ भूमि में प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने को उच्च प्राथमिकता क्रम में रखा गया है। इस अनुक्रम में प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ–सफाई व्यवस्था के लिये संचालनालय के पत्र क्र./ अस्प.प्रशा./2013/434 भोपाल, दिनांक 17/04/2013 द्वारा विस्तृत दिशा निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये गये थे, जिसमें संस्थाओं में शैयाओं के आधार पर सुपरवायजर एवं सफाईकर्मियों की संख्या निर्धारित करते हुये आउटसोर्सिंग के माध्यम से चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के अनुसार खुली निविदा द्वारा स्थापित करने के निर्देश दिये गये थे।

विचारोपरांत पत्र 434 दिनांक 17/04/2013 में संशोधन करते हुये चिकित्सा संस्थाओं में सुपरवायजर एवं सफाईकर्मियों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

संस्था	प्रस्तावित सफाई कर्मियो/सुपरवायजर्स की संख्या		कर्मियों का आबंटन
	सुपरवायजर्स	सफाईकर्मी	
बीमॉक संस्था प्रा.स्वा.केन्द्र	0	4	वार्ड एवं लेबर रूम–3, ओ.पी.डी विंग एवं केम्पस–1
बीमॉक सी.एच.सी/सिविल अस्पताल	0	4	वार्ड, मायनर ओ.टी एवं लेबर रूम–3, ओ.पी.डी विंग एवं केम्पस–1
सीमॉक संस्था सी.एच.सी/सि.अस्प.(50 शैय्याओं तक)	0	6	वार्ड–3, ओ.टी एवं लेबर रूम–2, ओ.पी.डी विंग एवं केम्पस–1

जिला अस्पताल/ सि.अस्प. 100 शैय्यायें	2	22	वार्ड–10, ओ.टी–3 (2 ओ.टी होने पर),लेबर रूम–4, ओ.पी.डी विंग–3, प्रायवेट वार्ड एवं केम्पस–2
जिला अस्पताल 200 शैय्याओं	2	34	वार्ड–20, ओ.टी–3 (2 ओ.टी होने पर) एवं लेबर रूम–6, ओ. पी.डी विंग–3, प्रायवेट वार्ड एवं केम्पस–2
जिला अस्पताल 300 शैय्यायें	3	46	वार्ड–27, ओ.टी–5 (4 ओ.टी होने पर) एवं लेबर रूम–6, ओ. पी.डी विंग–4, प्रायवेट वार्ड एवं केम्पस–4
जिला अस्पताल 400 शैय्यायें	3	59	वार्ड–39, ओ.टी–6 (4 ओ.टी होने पर) एवं लेबर रूम–6, ओ. पी.डी विंग–4, प्रायवेट वार्ड एवं केम्पस–4
जिला अस्पताल 500 शैय्यायें	3	73	वार्ड–52, ओ.टी–6(4 ओ.टी होने पर) एवं लेबर रूम–6, ओ.पी.डी विंग–4, प्रायवेट वार्ड–3, केम्पस–2
जिला अस्पताल 500 से अधिक शैय्यायें	3	92	वार्ड–69, ओ.टी–6(4 ओ.टी होने पर) एवं लेबर रूम–6, ओ.पी.डी विंग–4, प्रायवेट वार्ड–3,केम्पस–4

* 50 से अधिक एवं 100 से कम तक के शैय्याओं वाले सिविल अस्पतालों में 9 कर्मचारी रखे जा सकते हैं।

1) प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार खुली निविदा द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये।
2) **नॉन बीमॉक सिविल अस्पतालों /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लेवल–1 डिलेवरी पाईन्ट्स पर आउटसोंसिंग एजेन्सी के माध्यम से सफाई कर्मी न रखे जायें।**
3) जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सीमॉक व बीमॉक चिकित्सा संस्थाओं में उपरोक्तानुसार विशेष सफाई व्यवस्था आरंभ की जाये। चिकित्सालयों के शौचालयों, ओ.पी.डी., वार्डो लेबर रूम व अन्य स्थानों पर सफाई दिन में कम से कम चार बार गहन सफाई प्रातः 6 बजे से पूर्व, प्रातः 8 से 9 बजे, अपरान्ह 4 से 5 बजे तथा रात्रि में 9 बजे की जाये।
4) वार्ड तथा ओ.पी.डी. क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सफाई की जाये।
5) चिकित्सालय के प्रांगण में दिन में दो बार प्रातः 6 बजे व सांय 4 बजे सफाई की जाये।

6) जिन चिकित्सा संस्थाओं में पूर्व से विभाग अथवा अन्य स्त्रोतों (उदाहरणतः रोगी कल्याण समिति आदि) से सफाईकर्मी नियुक्त हैं तो उतनी संख्या कम करके सफाईकर्मियों की गणना की जाये।
7) परिपत्र में दर्शाई सफाईकर्मियों की संख्या केवल सुझावात्मक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन विभिन्न संस्थाओं के लिये निविदा करते समय सफाईकर्मियों की संख्या चिकित्सा संस्था की क्रियाशीलता के आधार पर स्वविवेक से कम कर सकते हैं। सुझाई गई संख्या से अधिक सफाईकर्मी केवल विशेष परिस्थितियों एवं अति आवश्यक होने पर ही संचालक (अस्पताल प्रशासन) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ही रखे जा सकते हैं।

8) मशीनों द्वारा (मेकेनाईज़्ड) सफाई व्यवस्था के लिये निविदा बुलाते समय निविदाकर्ताओं से उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मेकेनाईज़्ड सफाई व्यवस्था के आंकलन के लिये उनसे एक प्रस्तुतिकरण करवाकर तकनीकी मूल्यांकन किया जाये। तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्तावों की ही दर निविदा खोली जाये।
9) सामग्री–फिनायल, एसिड, नेप्थलिन बॉल्स आदि की व्यवस्था आउटसोर्स एजेंसी से ही कराई जानी है। निविदा के पूर्व चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था में एक वर्ष के लिये आवश्यक सफाई सामग्री का आंकलन कर उसका निविदा में उल्लेख किया जाये तथा टेण्डर में मानदेय के अतिरिक्त कंज्यूमेबल्स की दर प्राप्त करते हुये वास्तविक उपयोग में लाई गई सामग्री की मात्रा के अनुसार एजेन्सी को भुगतान किया जाये। सामान्यतः श्रमिकों पर व्यय की 10–15 % राशि सामग्री पर व्यय होती है।
10) अनुबंधित एजेन्सी के द्वारा निर्धारित उच्च गुणवत्ता की सामग्री चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था के स्टोर में रखाई जायेगी जिसकी स्टॉक ऐन्ट्री एक पृथक स्टॉक रजिस्टर में की जायेगी एवं संबंधित एजेन्सी को उनकी आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह/पखवाड़े की आवश्यकता के अनुसार सामग्री आबंटित की जायेगी। आबंटित सामग्री की स्टॉक ऐन्ट्री भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाये ताकि महिने के अंत में एजेन्सी के द्वारा साफ–सफाई हेतु वास्तव में उपयोग में लाई गई सामग्री का निर्धारित दर पर एजेन्सी को भुगतान किया जा सके। स्टॉक रजिस्टर में एजेन्सी द्वारा लाई गई सामग्री की मात्रा, कंपनी का नाम आदि की पूरी ऐन्ट्री की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि टेण्डर में दर्शाई फर्म/कंपनियों की सामग्री ही प्रदाय की जा रही है। निरीक्षण के दौरान किसी भी जिले /चिकित्सा संस्था में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री न पाये जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
11) सेवा प्रदाता को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त सफाईकर्मी/सुपरवाईजर्स से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, सर्विस टैक्स आदि भी स्वयं वहन करना होगा। निविदा दर में सर्विस टैक्स का पृथक से उल्लेख अनिवार्यतः होगा।
12) मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेन्ट अनुसार एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों का वेतन– न्यूनतम कलेक्टर दर पर देय होगा।
13) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियो के वेतन का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा ही करया जाये।
14) यदि एजेन्सी द्वारा टेण्डर डॉक्यूमेन्ट में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐजेन्सी को कुल दी जाने वाली राशि में से न्यूनतम 40 प्रतिशत की कटौति कर भुगतान किया जाये। (संदर्भित पत्र क्रं 2)
15) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेन्डस सिस्टम द्वारा लिया जाना सुनिश्चित करें।
16) एजेन्सी द्वारा कर्मचारियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाना है। चिकित्सालयों में सफाई कर्मचारी यूनिफॉर्म में रहे एवं नाम पट्टिका लगायें।
17) चिकित्सालय की साफ–सफाई की व्यवस्था का प्रतिदिन दिन में तीन बार पर्यवेक्षण किया जाये तथा इसके लिये एक नोडल अधिकारी चिन्हांकित किया जाये। जिला चिकित्सालयों के आर.एम.ओ. द्वारा नोडल अधिकारी का दायित्व निर्वहन किया जाये। नोडल अधिकारी प्रतिदिन तीन बार

राउंड लेकर सफाई व्यवस्था की जाँच करें तथा इसकी लिखित रिपोर्ट सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत करें। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि निर्धारित संख्या में सफाईकर्मी उपस्थित हैं तथा साफ–सफाई की सामग्री उच्च गुणवत्ता की है।

18) मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की निविदा शर्तों में पेनाल्टी के कड़े प्रावधान किये गये हैं। पर्यवेक्षण के दौरान कोई भी कमी पाये जाने पर प्रावधान अनुसार पेनाल्टी लगाई जाये।

19) जिला एवं सिविल अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के लिये राज्य बजट से स्कीम 1473 के मद क्रं. 31–006 के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई गई है। शेष बीमॉक, सीमॉक संस्थाओं व जिला अस्पतालों के लिये एन.आर.एच.एम. से उपलब्ध कराई गई राशि से भुगतान किया जाये।

20) **जिन जिलों में मॉडल टेंडर डाक्यूमेंट के अनुसार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है, अथवा जिन जिलों में अगामी तीन माह में साफ–सफाई का अनुबंध समाप्त हो रहा है, उन जिलों में मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के अनुसार एवं इन निर्देशों में दर्शाये मापदंडों के अनुसार आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से साफ–सफाई की व्यवस्था स्थापित करने के लिये निविदा जारी करें।**

21) **जिन जिलों में निविदा प्रक्रियाधीन है, निविदा में इन निर्देशों में दर्शायी संख्या अनुसार ही संस्थाओं हेतु कर्मचारियों का अनुबंध किया जाये।**

22) **सभी जिले जहां मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट के अनुसार अथवा स्थानीय अनुबंध के अनुसार आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से संचालनालय के आदेश क्र.434 दिनांक 17/4/2013 के मापदंडों के अनुसार सफाईकर्मी रखे गये हैं, तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों की संख्या में कमी कर यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की संख्या इस आदेश में दर्शाये मापदंडों के अनुसार ही रखे जायें। 1 फरवरी 2016 के पश्चात यदि किसी जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में इस आदेश में दिये गये मापदंडों से अधिक कर्मचारी रखे जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन की होगी एवं इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुये सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

23) **यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि 1/02/2016 से समस्त जिलों की संस्थाओं में आउटसोंस एजेन्सी के माध्यम से इन निर्देशों (उपरोक्तानुसार) में दी गई संख्या के अनुसार ही रखे जाये एवं मॉडल टेण्डर डॉक्यूमेन्ट में दी गई शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्रशा)
म.प्र,भोपाल

पृ.क्रमांक/अ.प्र./2016/ **भोपाल, दिनांक / /2016**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) संचालक, वित्त, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5) अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7) समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, म.प्र.

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्रशा)
म.प्र,भोपाल